

Bye-mail

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.10(क)( ) (का.भा.)डीएलबी/23/3737


दिनांक: 24/05./2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(क) ( ) सी.एम.ओ. जांच/डीएलबी/2022/1209 दिनांक 16/05/2023 के द्वारा श्रीमति भीतू बोथरा सभापति नगर परिषद नागौर एवं सदस्य पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाने से सभापति/अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। सभापति /अध्यक्ष नगर परिषद नागौर का पद सामान्य वर्ग महिला श्रेणी का है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1) (i) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमति पायल गहलोत पार्षद वार्ड संख्या .11 को नगर परिषद नागौर में सभापति/अध्यक्ष के पद का कार्यभार आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(हृदय कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(क)( ) (का.भा.)डीएलबी/23/3738-3755 दिनांक: 24/05./2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज. जयपुर ।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर ।
5. आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय जयपुर ।
6. सचिव, /उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर नागौर ।
8. श्री सुनील बेनीवाल अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय जोधपुर ।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर ।
10. सहायक निदेशक (सर्तकता) अनुभाग, निदेशालय ।
11. आयुक्त परिषद नागौर जिला नागौर ।
12. संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क ) निदेशालय ।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
14. निदेशक/अधीक्षक , राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
15. सुरक्षित पत्रावली ।

  
(संजय माथुर )  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी